

350

458

न्यायपालिका श्रीमान् अदालत महोदय राजस्व मण्डल ग्वाल्दर मण्डल जेडेट कोर्ट रीवा



18-201

राजस्व मण्डल -
निगरीनी 2186-III-15

180
9-6-15

रामकृपाल गुप्ता तनय त्रेतानाथ गुप्ता, सा 3 ग्राम पूर्वा 310, तहो मनगवां, जिला रीवा मण्डल
----- आवेदक/निगरीनी इर्ता.

बनाम

रामकृपाल गुप्ता तनय सुदामा प्रसाद निवासी ग्राम पूर्वा 310, तहो मनगवां, जिला रीवा मण्डल
----- अनाप / गैरीनिगरीनी इर्ता.

निगरीनी विस्व आदेश न्यायपालिका श्रीमान् नाब तहोदार
उप तहो गैस, द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ, तहो मनगवां
जिला रीवा मण्डल प्रणाली-9-ए-12/13-14 गोरत आदेश
दिनांक 30.07.2014
निगरीनी अर्तगत धारा 50 मण्डल धारा 10 त्त न 1959 ई.

श्री बृजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी के
द्वारा आज दिनांक 9-6-15
प्रस्तुत किया गया
सिद्धि
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5844
रजिस्टर्ड गेस्ट द्वारा आज
दिनांक 9-6-15 को प्राप्त,
वेलांक
राजस्व मण्डल ग्वाल्दर मण्डल

संशोधन में प्रकरण इस प्रकार है कि -----:

आराजी नं- 156/2 रकवा 0.39 डेऊ का अर रकवा 0.17 डेऊ
के तत्कालिक भूमिस्वामी भागी थी गुप्ता तनय सुदामा प्रो गुप्ता तहो अभिलेख
में विधिगत भूमिस्वामी व आधिपतधारी थे, जिनकी निजी आवश्यकता के
प्रयोजन हेतु स्व आवश्यकतानुसार उक्त वर्णित आराका रकवा 0.17 डेऊ आवेदक/
निगरीनी के पिता को जिनका नाम त्रेतानाथ गुप्ता था को रीवा विक्रय पत्र मा त्त
77,000/- में विक्रय कर कब्जा दे दिया, तथा उपरोक्त विक्रय पत्र
के आधार पर आवेदक/ निगरीनी के पिता के द्वारा नामांतरण कराया गया तथा
नामांतरण के आधार पर आवेदक के हस्तों की भूमि 156/1/3 रकवा 1.039 है,
राजस्व अभिमा में अंकित है तथा उक्त रकवे का आवेदक के पिता के द्वारा
विधिगत नक्शा तर्मीम कराया गया नक्शा तर्मीम के पश्चात् उक्त भूमिका सीमांकन

M

राजस्व मण्डल ग्वाल्दर मण्डल


350

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग02186- II / 2015

जिला-रीवा

रामकृपाल गुप्ता/रामखेलावन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी0पी0 चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां, जिला-रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	